

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर (भूअ) बाड़मेर

क्रमांक : प.14(225)(1)भूअ./स्था/2019/192

दिनांक 15.01.2019

आदेश

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक : राम/भूअ./ई-3/परीक्षा/प-279/2017/388-420 दिनांक 10.01.2019 के क्रम में सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2015 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जिला बाड़मेर आवंटित किये जाने के फलस्वरूप इस जिले में पटवारियों के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत पटवारी को पे मेट्रिक्स एल-5 ( 20800 – 65900) में दो वर्ष तक प्रोबेशनर ट्रेनीज के रूप में रुपये 14600/- (चोदह हजार छः सौ रुपये) प्रतिमाह स्थिर पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) पर दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी के रूप में दिनांक 21.01.2019 से इस कार्यालय में पटवारी पद पर कर्तव्य ग्रहण करने की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन पटवारी पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है -

1. कि पटवारी पद पर अंतिम रूप से चयनित निम्न अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्रसिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के सलग्न अन्य याचिकाओं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूनम कंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12032/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17076/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 के निर्णय के अधीन रहेगी।

